[2021] 1 एस. सी. आर. 201

मुरली

बनाम

राज्य (पुलिस निरीक्षक के द्वारा)

आपराधिक अपील संख्या 24 वर्ष 2021)

05 जनवरी, 2021

[एन. वी. रमना, सूर्या कांत और अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 320-का संयोजन

एस. एस. के अधीन अपराध। 307 , 324 – अभियोजन का मामला यह था कि पंद्रह साल पहले एक वॉलीबॉल मैच को लेकर पीड़ित-घायल और मूल आरोपी नं. 3 और 5 जिसने कुछ समय बाद अपीलार्थियों के साथ पीड़ित को घेर लिया और उस पर हमला किया-अपीलार्थी-एम ने पीड़ित के सिर पर हॉकी स्टिक और अपीलार्थी से वार किया-आर ने उसे तेज धार वाली वस्तु से गर्दन पर प्रहार करके मारने के लिए बांध दिया और इस प्रक्रिया में, पीड़ित का बायां हाथ और उसके दाहिने हाथ का अंगूठा और उंगली काट दी गई-निचली अदालत ने अपीलार्थी-एम को एस. एस. के तहत दोषी ठहराया। 324 और 241 आई. पी. सी. और अपीलार्थी-आर. एस. के तहत। 307 और 341 आई. पी. सी. अपीलार्थी-एम. पर तीन महीने का कठोर दंड लगाया गया।

कारावास जबकि अपीलार्थी-आर को पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी-सत्र अदालत और उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की-अपीलार्थी ने उसे चुनौती दी

तत्काल अपील में दोषसिद्धि-हालांकि, एक आवेदन के माध्यम से, अपीलकर्ताओं ने घायल-पीड़ित को शामिल करने और आपसी समाधान और शांतिपूर्ण आधार पर उनके अपराधों को बढ़ाने की मांग की

समझौता-आयोजित: इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एस। 320 सी. आर. पी. सी. एस. को समाहित नहीं करता है। 324 और 307 आई. पी. सी. अपनी शमनीय सूची के तहत अपराध-इसके बावजूद, सौहार्दपूर्ण निपटान का तथ्य सजा की मात्रा में कमी के उद्देश्य से एक प्रासंगिक कारक हो सकता है-अपीलार्थियों को दी गई सजा की मात्रा पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जा सकता है कि घटना के समय, पीड़ित कॉलेज में था और अपीलार्थी बिस के दशक की शुरुआत में थे।

अपीलार्थियों की कोई अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी और अब वे विवाहित हैं और उनके बच्चे हैं-दोनों अपीलार्थियों ने अपनी सजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी पूरा किया है।

कानून की स्थिति और बाद की घटनाओं से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट परिस्थितियाँ, एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण-अपीलार्थियों के प्रेषक की मात्रा को घटाकर पहले से चली आ रही सजा कर दिया गया।

उन्हें-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 307 और 324।

राम पूजन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 2 एससीसी 456; ईश्वर सिंह बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2008) 15 एससीसी 667: [2008] 14

एस. सी. आर. 574; राम लाल बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य, (1999) 2 एस. सी. सी. 212:
[1999] 1 एस. सी. आर. 230; बैंकट बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

(2005) 1 एस. सी. सी. 343; मोहर सिंह बनाम। राजस्थान राज्य

(2015) 11 एससीसी 137 [2015] 4 एससीआर 563; शंकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2019) 5 एस. सी. सी. 166-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

(1973) 2 एससीसी 456

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[2008] 14 एससीआर 574

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[1999] 1 एससीआर 230

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[2004] 6 पूरक। एससीआर 406

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

(2015) 11 एससीसी 226

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[2015] 4 एससीआर 563

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

(2019) 5 एससीसी 166

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

न्यायनिर्णय: आपराधिक एपी

आपराधिक अपील 2021 का नंबर 24।

उच्च न्यायालय के 01.11.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में मद्रास में न्यायिक कार्य। 2013 का आर. सी. सं. 1185।

के साथ 2021 की आपराधिक अपील संख्या 25।

जयंत मुथ राज, राजा राजेश्वरन, एस. एडवस।, रामाक्रीस

रेड्डी, ए. राजाराजन, के. परी वेंधन, एम. योगेश कन्ना, एसी

चड्ढा, टी. हरीश कुमार, रघुनाथ सेतुपति, सुश्री हेमलता रा. आयुष्मान वात्स्यायन, दीपक आनंद, अधिवक्ता। एपिया पार्टियों के लिए।

मुराली वी. राज्य प्रतिनिधि। पुलिस के निरीक्षक द्वारा

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

1. अनुमति दी गई

2. इन संबंधित अपीलों के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है

मद्रास उच्च न्यायालय का दिनांकित 01.11.2018 का निर्णय जिसने मुरली (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) सं. 10813/2019 में अपीलार्थी) की भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आई. पी. सी".) की धारा 324 और 341 के तहत तीन महीने के कठोर कारावास की सजा और राजवेलु की सजा को बरकरार रखा।

पीड़ित का हाथ और उसके दाहिने हाथ का अंगूठा और उंगली काट दी गई। पीड़ित भागने में सफल रहा और उसके दोस्त पीडब्लू-1 ने मामले की सूचना दी। सभी पांचों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद धारा 147,148,341,352,323,324,307 के तहत 2005 की अपराध संख्या 531 का पंजीकरण हुआ। और आई. पी. सी. के 34.

4. पीड़ित (पीडब्लू-3) की गवाही पर भरोसा करते हुए, जिसे निर्विवाद और उत्कृष्ट माना गया था, सहायक सत्र न्यायाधीश

सह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुड्डालोर ने अपने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से मुरली को पीड़ित को गलत तरीके से रोकने और स्वेच्छा से एक खतरनाक हथियार से चोट पहुँचाने का दोषी ठहराया। राजवेलू से चिकित्सा साक्षय और वीचू अरुवल की बरामदगी के आधार पर, निचली अदालत ने आगे कहा कि दूसरे अपीलार्थी (राजवेलू) का स्पष्ट इरादा पीड़ित की हत्या करने का था और अगर पीड़ित ने अपना बचाव नहीं किया होता, तो उसकी गर्दन पर घातक चोट लग जाती और वह तुरंत मर जाता। नतीजतन, आई. पी. सी. की धारा 324 और एक महीने [2021] 1 एस. सी. आर. के तहत तीन महीने के कठोर कारावास की समवर्ती सजा।

आईपीसी की धारा 341। मुथु, कुमार और कृष्णन को बरी कर दिया गया क्योंकि पीड़ित द्वारा कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें कोई हथियार या चोट नहीं दी गई थी। 5. दोषी-अपीलकर्ताओं ने दो मंचों के समक्ष पूर्व में बताए गए फैसले को चुनौती दी, दोनों ने सर्वसम्मति से अपनी दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

अतिरिक्त जिला-सह-सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से पहली अपील को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को भी दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उसी भाग्य का सामना करना पड़ा।

6. अभी भी असंतुष्ट, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की बर्खास्तगी के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

उनका विश्वास। हालाँकि, 22.11.2019 पर दायर एक आवेदन के माध्यम से, उन्होंने घायल-पीड़ित को शामिल करने और पक्षों के बीच आपसी समाधान और शांतिपूर्ण समझौते के आधार पर उनके अपराधों को बढ़ाने की मांग की है। फिर भी, इस न्यायालय ने केवल सजा की मात्रा पर सीमित नोटिस जारी किया। 7. मामले के अभिलेखों से पता चलता है कि तीनों पूर्ववर्ती मंचों के निष्कर्ष समवर्ती और त्रुटिहीन हैं। सिर्फ इतना ही नहीं

अपीलार्थी कानून के प्रश्न पर आधारित एक प्रभावी चुनौती का सामना करने में असमर्थ रहे हैं, उनके विद्वान वकीलों ने बाद की घटनाओं और परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए, केवल सजा में कमी के लिए अपनी प्रार्थना को बहुत ही सीमित कर दिया है।

8. अभियोग और संयोजन के लिए आवेदनों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पक्षों ने अपने बड़ों की सलाह पर एक सौहार्दपूर्ण समझौता किया है। अपीलकर्ताओं ने अपनी गलती स्वीकार की है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी ली है और परिपक्व रूप से पीड़ित से माफी मांगी है। बदले में, पीड़ित ने माफी को

स्वीकार किया है, और घटना के समय अपीलार्थियों की कम उम्र को देखते हुए, अपीलार्थियों को माफ कर दिया है और विवाद को सुलझा लिया है। पीड़ित के लिए विद्वान वकील-आवेदक ने मौखिक सुनवाई के दौरान भी यही रुख दोहराया है।

9. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सीआरपीसी") की धारा 320 आईपीसी की धारा 324 और 307 को शमनीय अपराधों की सूची में शामिल नहीं करती है। असंदिग्ध मुरली v को देखते हुए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (9) की भाषा जो स्पष्ट रूप से उक्त प्रावधान के तहत अनुमति के अलावा किसी भी चक्रवृद्धि को प्रतिबंधित करती है, अपीलार्थियों के अपराधों को चक्रवृद्धि करना संभव नहीं होगा। 10. इसके बावजूद, हमें यह प्रतीत होता है कि सौहार्दपूर्ण समाधान का तथ्य वाक्य की मात्रा में कमी के उद्देश्य से एक प्रासंगिक कारक हो सकता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में जहां पक्षों ने अपने अतीत को भूलने और सौहार्दपूर्ण तरीके से जीने का फैसला किया, यह न्यायालय राम पूजन बनाम में। उत्तर प्रदेश राज्य [(1973) 2 एस. सी. सी. 456] निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

" 6. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हम जिस एकमात्र प्रश्न से संबंधित हैं, वह वाक्य के बारे में है। इस संबंध में हम पता लगाएँ कि घायल अभियोजन पक्ष के गवाहों और अपीलार्थियों की ओर से समझौते के लिए एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। आवेदन में कहा गया था कि अपीलकर्ताओं और घायल व्यक्तियों, जो एक ही परिवार के हैं, ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया था और शांति से रहना चाहते थे। इसके बाद उच्च न्यायालय ने समझौते के सत्यापन के लिए मामले को निचली अदालत को भेज दिया। समझौता सत्यापित होने के बाद, उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि दंड संहिता, 1860 की धारा 326 के तहत अपराध गैर-शमनीय था, इसलिए अपराध को चक्रवृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उच्च न्यायालय ने दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 326 के तहत अपराध के लिए सजा को चार साल से घटाकर चार साल कर दिया।

अपीलार्थियों को लंबे समय तक जेल में रखना। जिस प्रमुख अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया है, वह नहीं है संदेह
गैर-शमनीय है, लेकिन सजा की मात्रा निर्धारित करने में समझौते के तथ्य को ध्यान में रखा जा सकता है

हमारी राय में, यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा यदि अपीलार्थियों को दी गई कारावास की सजा को घटाकर

पहले से गुजर चुकी अवधि बशर्ते कि प्रत्येक अपीलार्थी 1500 रुपये का जुर्माना देता है

[2021] 1 एस. सी. आर. के तहत अपराध के लिए पहले से ही कारावास।

दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 326। जुर्माने के भुगतान की चूक में, प्रत्येक अपीलार्थी

कुल अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा

धारा के साथ पठित धारा 326 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष

34 दंड संहिता, 1860। जुर्माने में से 2000 रुपये राम सेवक को और 2000 रुपये राम समुज को मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

(जोर दिया गया)

11. ईश्वर सिंह बनाम सहित इस टी द्वारा पूर्व-उद्धृत दृष्टिकोण का लगातार पालन किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य [(2008) 15 एस. सी. सी. ने कहा कि:

" 13. जेठा राम बनाम। राजस्थान राज्य [(2006) 9 एससीसी 255:

(2006) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 561], मुरुगेसन बनाम। गणपति

वेलार [(2001) 10 एससीसी 504: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1032]

और ईश्वरलाल बनाम। एम. पी. राज्य [(2008) 15 एस. सी. सी. 671: जे. टी. (1988) 3 एस. सी. 36 (1)] इस न्यायालय ने पक्षकारों के बीच समझौते के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी-अभियुक्त पर लगाए गए दंड को घटाकर पहले ही चुका दिया, हालांकि अपराध शमनीय नहीं थे। लेकिन यह भी कहा गया कि महेश चंद बनाम। राजस्थान राज्य [1990 एस. सी. सी. 681: 1991 एससीसी (सीआरआई) 159: ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 2111] ऐसा अपराध था

संयोजित करने का आदेश दिया। 14. हमारी सुविचारित राय में, किसी ऐसे अपराध के चक्रवृद्धि का आदेश देना उचित नहीं होगा जो इसके तहत शमनीय नहीं है।

संहिता वैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा करती है और उन्हें अलग रखती है। हालाँकि, हमारे निर्णय में, विद्वानों का सीमित समर्पण

अपीलार्थी के वकील इस बात पर विचार करने के योग्य हैं कि जबकि

मूल सजा देना, समझौते का तथ्य

पक्षकारों के बीच वास्तव में एक प्रासंगिक परिस्थिति है जिसे न्यायालय ध्यान में रख सकता है। 15. तत्काल मामले में, घटना पंद्रह साल से अधिक समय पहले हुई थी; पक्ष एक ही गाँव में रह रहे हैं और वे रिश्तेदार भी हैं। अपराध के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 20 वर्ष थी। यह उनका पहला अपराध था। दोषी ठहराए जाने के बाद याचिकाकर्ता को हिरासत में ले लिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन मुराली बनाम के फैसले के बाद।

राज्य प्रतिनिधि। पुलिस के निरीक्षक द्वारा

उच्च न्यायालय में, उन्होंने फिर से आत्मसमर्पण कर दिया और वर्तमान में जेल में हैं।

हालाँकि उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई और उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया गया। तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि अपीलार्थी (अभियुक्त 1) को दी गई कारावास की सजा को पहले की अवधि तक कम कर दिया जाता है।

गुजर चुका है "।

(जोर दिया गया)

12. राम लाल बनाम सहित बाद के निर्णयों में। जम्मू और कश्मीर राज्य, [(1999) 2 एस. सी. सी. 212], बैंकट बनाम। महाराष्ट्र राज्य, [(2005) 1 एससीसी 343], मोहर सिंह बनाम। राजस्थान राज्य [(2015) 11 एस. सी. सी. 226], नंदा गोपालन बनाम। केरल राज्य [(2015) 11 एस. सी. सी. 137], शंकर बनाम। महाराष्ट्र राज्य, [(2019) 5 एस. सी. सी. 166], इस न्यायालय ने गंभीर गैर-शमनीय अपराधों में भी दोषियों की सजा को कम करने के लिए पक्षों के बीच समझौते पर ध्यान दिया है।

14. दूसरा, घटना के समय, पीड़ित एक कॉलेज का छात्र था, और दोनों अपीलार्थी भी 20-22 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं थे। द.

हमला एक खेल मैच के दौरान एक मौखिक विवाद के अनुसरण में किया गया था, जिसमें पक्षों के बीच कोई पिछली दुश्मनी नहीं थी। यह उम्मीद जगाता है कि दल बड़े हुए होंगे और अपने तरीके सुधार लिए होंगे। वास्तव में, वर्तमान मामले में, घटना को पंद्रह साल बीत चुके हैं।

अपीलार्थी आज अपने तीस के दशक के मध्य में हैं और उसी अपराध को करने की बहुत कम संभावना प्रस्तुत करते हैं।

15. तीसरा, अपीलार्थियों का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई पूर्व शत्रुता नहीं है, और आज वे विवाहित हैं और उनके बच्चे हैं। वे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं और उनके पास महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व हैं।

करने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में, हो सकता है कि उन्हें आगे जेल में रखने से समाज को कोई फायदा न हो। 16. अंत में, दोनों अपीलार्थियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है। मुरली को आधे से अधिक एच. आई. हो चुके हैं।

और राजवेलु एक साल से अधिक समय से जेल में है और

17. पार्टियों के बीच सी सहित इन सभी अनूठे कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम इसे कम करना उचित समझते हैं अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश। अपीलों की अनुमति है और दोनों अपीलार्थियों की सजा कम की गई है।

उनके द्वारा पहले से ही गुजर चुकी अवधि। नतीजतन, उनके जमानत बांड, यदि कोई हैं, तो उन्हें रिहा कर दिया जाता है। कोई भी लंबित ऐपली

तदनुसार निपटाया जाता है।

देविका गुजराल

अपील पी